न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–126/2011–12

श्री शूरवीर सिंह आदि–बनाम –श्री फतरू आदि

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री के0एस0 राणा।

अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता : श्री एस0डी0 सुरीरा।

बावत

खाता संख्या–72 हाल बन्दोबस्ती खाता संख्या–254
मौजा अणुवा, पट्टी आरगढ़,
तहसील घनसाली, जनपद टिहरी गढ़वाल।

निर्णय

यह निगरानी सहायक कलेक्टर, घनसाली द्वारा दुरस्ती वाद संख्या–1/99/2011 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम शूरवीर सिंह आदि बनाम फतरू में तहसीलदार, घनसाली की संस्तुति दिनांक 22–11–2011 पर सहायक कलेक्टर, घनसाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 11–05–2012 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में राजस्व अभिलेखों में हुई त्रुटि को दुरस्त करने हेतु निगरानीकर्ता शूरवीर सिंह ने भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत तहसीलदार, घनसाली के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 21–01–2011 प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार, घनसाली ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 22–11–2011 से सहायक कलेक्टर, घनसाली को इस आशय की संस्तुति की गई कि वादी द्वारा सिविल जज, जूनियर डिवीजन के आदेश दिनांक 28–10–2010 के विरूद्व जिला जज महोदय, टिहरी के न्यायालय में अपील की गई है, अतः एक ही प्रकरण पर दो–दो न्यायालय में वाद दायर नहीं किया जा सकता, अतः वादी का दुरस्ती प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने की संस्तुति की जाती है। तहसीलदार, घनसाली की संस्तुति दिनांक 22–11–2011 पर सहायक कलेक्टर, घनसाली द्वारा यथाप्रस्तावित/सहमत की टिप्पणी दिनांक 11–05–2012 अंकित की गई। इन आदेशों के विरूद्व निगरानीकर्ता ने राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून के समक्ष निगरानी संख्या–126/2011–12 शूरवीर सिंह आदि बनाम फतरू आदि योजित की गई जिसे मा0 सदस्य, राजस्व परिषद ने अपने निर्णयादेश दिनांक 06–08–2012 से एकपक्षीय रूप से ग्राह्यता स्तर पर ही स्वीकार करते हुए प्रकरण उप जिलाधिकारी, घनसाली को धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए गुणदोष के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण के आदेश पारित किए गए। सदस्य, राजस्व परिषद के आदेश के विरूद्व प्रतिउत्तरदाता बचन सिंह ने मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में रिट पिटीशन संख्या–449/एम0एस0/2013 बचन सिंह बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू आदि योजित की जिसमें मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आदेश दिनांक 29–04–2013 पारित करते हुए मा0 सदस्य, राजस्व परिषद द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–08–2012 निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः याचिकाकर्ता/प्रतिउत्तरदाता को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए वाद को निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक अध्ययन किया।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता का तर्क है कि उप जिलाधिकारी, घनसाली ने तहसीलदार की रिपोर्ट पर बिना को सम्मन जारी किये यथा प्रस्तावित का आदेश पारित कर दिया। इस वाद में निगरानीकर्ता को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नहीं

दिया गया जबकि पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था। उप जिलाधिकारी ने अपने न्यायालय में वाद दर्ज भी नहीं किया। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया था कि वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय में वाद गतिमान है अतः एक ही प्रकरण से सम्बन्धित वाद दो न्यायालय में नहीं चल सकते। बगथौरू पुत्र मूलू की ग्राम अणुवा में मौरूसी भूमि थी जो कि उनके नाम साबिक बन्दोबस्ती खाता संख्या–72 व हाल बन्दोबस्ती खाता संख्या–254 में बतौर मौरूसीदार दर्ज थी। जनपद टिहरी में दिनांक 01–07–69 में जमींदारी विनाश अधिनियम अस्तित्व में आया और इस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व अभिलेख तैयार किये गये और बखतौरू पुत्र मूलू के नाम पर दर्ज ग्राम तुंगाणा की भूमि खाता संख्या–254 की फसली खाता संख्या–103 फसली 1377 से 1382 में दर्ज की गई। उपरोक्त खाता संख्या–103 तैयार करते समय त्रुटिवश भूमिधर का नाम बजाय बखतौरू पुत्र मूलू के फतरू पुत्र मूलू निवासी अणुवा दर्ज कर दिया गया। ग्राम अणुवा अथवा ग्राम तुगाणा में फतरू पुत्र मूलू नाम से कोई व्यक्ति न तो था और न वर्तमान में है। निगरानीकर्ता के पूर्वज का वर्ष 1971 के लगभग निधन हो जाने पर निगरानीकर्तागण ही बखतौरू के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी हैं। उपरोक्त खाता संख्या–103 में हुई गलत इन्द्राजी के आधार पर नाजायज लाभ उठाने के उद्देश्य से ग्राम तुगाणा के एक व्यक्ति बचन सिंह पुत्र नत्थी सिंह जो निगरानी में विपक्षी संख्या–2 हैं द्वारा उपरोक्त भूमि पर निगरानीकर्तागण के कब्जे में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया जिसके कारण हस्तक्षेप को रोकने के लिए निगरानीकर्तागण ने न्यायालय सिविल जज(जू0डि0), टिहरी में दीवानी वाद दायर किया जिसमें न्यायालय द्वारा यह घोषित किया गया कि प्रश्नगत भूमि राजस्व अभिलेखो में हुई त्रुटि को दुरस्त करने से सम्बन्धित है जिसका क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। इसी आधार पर निगरानीकर्तागण ने दुरस्ती प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया था जिसे तहसीलदार घनसाली द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से सिविल न्यायालय में हुई कार्यवाही को आधार मानते हुए दुरस्ती वाद को निरस्त करने की संस्तुति कर दी और सहायक कलेक्टर द्वारा भी इस संस्तुति को बिना निगरानीकर्तागण को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये ही स्वीकार कर लिया गया। निगरानीकर्तागण को अवर न्यायालय में साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। निगरानी स्वीकार कर अवर न्यायालय के आदेश निरस्त किये जाय। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता निगरानकर्ता द्वारा यू0सी0 2008(2) पृष्ठ–701, ए0आई0आर0 1997 पृष्ठ–2719 एवं आर0डी0 1997(88) पृष्ठ–849 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता द्वारा तर्क दिया गया कि निगरानीकर्तागण मृतक फतरू के वशंज नहीं है क्योंकि वादीगण के मूल खानदान में मूल पुरूष मूलू था और मूलू की पत्नी का नाम सहदेई था। सहदेई की अपने पति मूलू से दो सन्ताने कमशः लड़की छेणी एवं दूसरा पुत्र बगथौरू हुआ। निगरानीकर्ता ने वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में सिविल जज के न्यायालय में वाद दायर किया था जो निरस्त हुआ। इसके विरूद्व निगरानीकर्तागण ने जिला जज के न्यायालय में अपील योजित की थी वह भी निरस्त हो गई। तहसीलदार घनसाली के न्यायालय में दाखिल खारिज वाद में भी निगरानीकर्तागण शूरवीर सिंह का नाम आदेश दिनांक 25–10–2005 से निरस्त हुआ था जिसकी अपील निगरानीकर्तागण ने सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की थी जो सहायक कलेक्टर, घनसाली ने अपने आदेश दिनांक 21–08–2007 से निरस्त की थी और निगरानीकर्तागण ने अपर आयुक्त के समक्ष निगरानी अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम प्रस्तुत की थी जो अपर आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 12–09–2008 से निरस्त हुई थी। निगरानीकर्ता के सभी न्यायालयों से वाद निरस्त हुए हैं। फतरू व बगथौरू दो अलग–अलग जाति के व्यक्ति थे। तहसीलदार एवं सहायक कलेक्टर के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। निगरानी निरस्त होने योग्य है।

इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्तागण ने अवर न्यायालय में राजस्व

अभिलेखों में त्रुटि की दुरस्ती हेतु भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें तहसीलदार, घनसाली ने अपनी आख्या दिनांक 22–11–2011 से दुरस्ती प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की संस्तुति की गई और तद्नुसार सहायक कलेक्टर, घनसाली ने तहसीलदार की रिपोर्ट को अपने आदेश दिनांक 11–05–2011 से स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। मैंने अवर न्यायालय की वाद पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार, घनसाली द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या–24/66/2005 धारा–34 भू–राजस्व अधिनियम में पारित आदेश कागज संख्या–ब–10/1 का अवलोकन किया। इस आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया है कि फतरू व बगथौरू दो अलग–अलग तथा अलग–अलग जाति के व्यक्ति थे। तहसीलदार ने अपने निर्णयादेश में यह भी उल्लेख किया है कि मृतक फतरू के बजाय प्रतिवादीगण जगदीश सिंह पुत्र जोत सिंह, सावित्री देवी पत्नी जोत सिंह व शूरवीर सिंह पुत्र बगथौर सिंह के नाम गलत दाखिल खारिज आदेश पारित किया है जिसे उनके द्वारा अपने आदेश दिनांक 25–10–2005 से निरस्त किया गया। जिसके विरूद्व निगरानीकर्तागण ने सहायक कलेक्टर, घनसाली के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो निर्णयादेश दिनांक 21–08–2007 से निरस्त हुई एवं अपील में उनके विरूद्व पारित आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, गढ़वाल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की थी जो अपर आयुक्त द्वारा निर्णयादेश दिनांक 12–09–2008 से निरस्त की गई। इसी प्रकार न्यायालय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल के दीवानी अपील संख्या–16/2010 शूरवीर सिंह बनाम बचन सिंह में पारित निर्णयादेश दिनांक 25–08–2012 कागज संख्या–ब–11/1 का भी अवलोकन किया। इस निर्णयादेश में यह विवेचित किया गया है कि "बगथौरू के नाम के स्थान पर फतरू का नाम लिखा जाना एक त्रुटि है को साबित करने का कोई साक्ष्य वादी द्वारा प्रस्तुत न किये जाने के कारण अभिलेखों में लेखन त्रुटि के तर्क को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं पा रहा है। वस्तुतः यह नामान्तरण वर्ष 1969 में हुआ है और वर्ष 1969 से 2005 तक वादी और उसके पिता चुप रहे और वर्ष 2005 में पहली बार वादी ने अपने व अपने भाई तथा उनके वारिसान के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज करने का प्रयास किया गया। वादी ने स्वंय यह स्वीकार किया है कि उसके पिता की मृत्यु 40–42 वर्ष पूर्व हुई है ऐसे में वादी द्वारा काफी दिनों तक मौन रहने के बाद बिना किसी स्पष्ट साक्ष्य के यह न्यायालय यह स्वीकार नहीं कर सकता है कि बगथौरू पुत्र मूलू के स्थान पर फतरू पुत्र मूलू का नाम त्रुटिवश लिख दिया गया हो।" यह न्यायालय इस तथ्य से पूर्णतया सहमत है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानीकर्तागण की निगरानी बलयुक्त न होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

आदेश

बलहीन होने के कारण निगरानी निरस्त की जाती है। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)।

आज दिनांक 15/12/15 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(विजय कुमार ढ़ौंडियाल)
सदस्य(न्यायिक)